

आधुनिक भारत में राजाराम मोहनराय के राजनीतिक विचारों की प्रासंगिकता

डॉ. विक्रम सिंह
जयपुर (राज.)

Email: drvikramdevpura@gmail.com

सारांश

राजा राममोहनराय महान देश भक्त उत्कट स्वतंत्रता-प्रेमी और मानवतावादी थे। उन्होंने भारत में सामाजिक सुधार और नवजागरण का संदेश प्रसारित किया। भारत में सामाजिक न्याय की मांग करने वाले वे प्रथम विचारक थे। उन्होंने समाज में असमानता समाप्त करने के लिए केवल विचारों का ही प्रतिपादन नहीं किया अपितु उनके लिए सक्रिय प्रयास भी किये।

राय को भारत में राष्ट्रीय चेतना और विकास का अग्रदूत कहा जा सकता है, उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, आर्थिक सभी संदर्भों में विवेकशील, उदार और प्रगतिवादी विचारों का प्रतिपादन करके भारत में सामाजिक और राजनीतिक जागरण का संदेश प्रसारित किया। यह उनके जागरूक और सक्रिय प्रयत्नों का ही परिणाम था कि भारतीयों में आत्मविश्वास का संचार हुआ और आने वाले समय में वे राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए मानसिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर प्रशिक्षित हो सके।

उन्होंने व्यक्ति के अधिकारों और समाचार-पत्रों तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में आग्रह पूर्वक अपने विचारों को व्यक्त करके भारत में राजनीतिक जागृति का सूत्रपात किया। अंग्रेजी संस्कृति व राजनीतिक प्रणाली का समर्थक होते हुए भी राय ने भारत के शासन में भारतीयों की अधिकाधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने की मांग के द्वारा, स्वराज्य की मांग के लिए वैचारिक स्तर पर आधार तैयार किया। यह सत्य है कि राय ने भारत के लिए पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग नहीं की, तथापि इससे राय ने देश-प्रेम का निषेध नहीं होता। वे उस समय की परिस्थितियों में यह आवश्यक समझते थे कि भारतीय, ब्रिटिश सभ्यता तथा शासन प्रणाली के सम्पर्क से अधिकाधिक लाभान्वित हों, ताकि भविष्य में वे शासन की बागडोर स्वयं सम्भालने में पूरी तरह सक्षम हो सके। स्वराज्य की स्पष्ट मांग न करते हुए भी, उन्होंने भारतीयों के लिए जिन स्वतंत्रताओं तथा सुधारों की मांग की, उनके द्वारा वे भारतीयों में से हीन भावना को समाप्त कर, उनमें राजनीतिक जागृति का संदेश प्रसारित करने में व्यापक सीमा तक सफल हुए।

राय स्त्रियों की स्वतंत्रता और समाज में उनके सम्मान पूर्ण और गरिमापूर्ण स्थान को सुरक्षित करने के पक्षधर थे। उन्होंने स्त्रियों के उत्थान और उन्हें शिक्षा, सम्पत्ति आदि के क्षेत्र

में समानता का स्तर प्रदान करने के लिए जागरूक प्रयत्न किये। हिन्दू समाज में सती प्रथा के विरोध में राय ने सर्वप्रथम आवाज़ उठाई। पुरुषों के बहुविवाह का विरोध तथा विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया।

प्रस्तावना

भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राममोहन राय का जन्म 22 मई, 1772 को बंगाल प्रान्त के हुगली जिले के राधानगर ग्राम में बैनर्जी ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो एक कुलीन ज़मींदार परिवार था। उनके पिता रमाकान्त तथा माँ तरिणी देवी की धार्मिक कर्मकाण्डों एवं रीति-रिवाजों में गहरी आस्था थी। यह उल्लेखनीय है कि राजा राममोहन राय के नाम में संलग्न 'राजा' एवं 'राय' उपाधि-सूचक शब्द है। राममोहन के पितामह कृष्णचन्द्र बैनर्जी बंगाल के नवाब के यहां उच्च पदाधिकारी थे। उनकी निष्ठा व सेवा से प्रसन्न होकर नवाब ने उन्हें 'राय-राय' की उपाधि से सम्मानित किया। 'राजा' की उपाधि स्वयं राममोहन ने अर्जित की थी। जब 1830 में राममोहन ने मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के राजदूत के रूप में इंग्लैण्ड की यात्रा की, तब सम्राट ने उन्हें इस उपाधि से सम्मानित किया। 1828 ई. में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज के माध्यम से उन्होंने अद्वैतवादी दर्शन को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। 1809 से 1814 की अवधि में, ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सेवा में उन्हें अनेक अंग्रेजों के निकट सम्पर्क में आने का अवसर मिला। भारत में ब्रिटिश सम्पर्क के राजनैतिक व आर्थिक परिणाम चाहे उतने सुखद न रहे हो, ब्रिटिश सम्पर्क से भारत को अनेक क्षेत्रों में अत्यधिक लाभ हुआ है।

राजनीतिक विचार

राममोहन राय के राजनीतिक विचारों को उदारवाद की श्रेणी में रखा जा सकता है। उनके विचारों में व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं और समाज सुधारों के प्रति उत्कट आग्रह ने उनके चिन्तन को एक विलक्षण स्तर प्रदान किया। उनके राजनीतिक विचारों का विश्लेषण निम्नलिखित शीर्षकों में किया जा सकता है:-

- 1 **व्यक्तिगत व राष्ट्रीयता स्वतंत्रता-** राजा राममोहन राय ने व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता का समर्थन किया। वे जीवन, स्वतंत्रता और सम्पत्ति धारण के अधिकारों को व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों के रूप में स्वीकार करते थे। यद्यपि प्राकृतिक अधिकारों के संबंध में उनका दृष्टिकोण लॉक, ग्रोशियस तथा टॉमसपेन से समानता रखता है; तथापि उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की धारणा को पश्चिमी व्यक्तिवादी विचारों के समतुल्य नहीं माना जा सकता। वे व्यक्तिगत, स्वतंत्रता और मानव अधिकारों को भारतीय सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप ढालना चाहते थे। इस दृष्टि से वे राज्य की अहस्तक्षेपवादी धारणा से पूर्णतः असहमत थे। उनका दृढ़ मत था कि राज्य को व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान के लिए सक्रिय प्रयत्न करना चाहिए। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में व्यापक कुरीतियों, अन्यायप्रद परम्पराओं और अंधविश्वासों को देखते हुए उन्होंने राज्य द्वारा समाज सुधार शैक्षणिक उन्नति आदि के

लिए विधि निर्माण पर बल दिया।¹

राय राष्ट्रों की स्वतंत्रता के भी महान समर्थन थे। किन्तु यह सत्य है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में राय के विचारों में जो स्पष्ट आग्रह व्यक्त हुआ है, वह राष्ट्रों की स्वतंत्रता के संबंध में उनके दृष्टिकोण में उपलब्ध नहीं होता। यूनान और नेपल्स की स्वतंत्रता की आकांक्षा के प्रति उनका स्पष्ट समर्थन था। जब 1820 में नेपल्स में स्वेच्छाचारी शासन पुनः स्थापित हो गया तो उन्हें गम्भीर क्षोभ हुआ। इसी प्रकार फ्रांस की 1830 की राज्य क्रांति से उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। चार्ल्स दशम के शासन के उन्मूलन से राय को बहुत संतोश हुआ।²

राय की मान्यता थी कि भारत में अंग्रेजी शासन भारतीय जन मानस में लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली के प्रति आस्था उत्पन्न करने तथा भारत का आधुनिक संस्कृति से जीवन्त सम्पर्क करने में सहायक होगा और भारत राजनीतिक तथा बौद्धिक दृष्टि से विश्व के अन्य सभ्य देशों के स्तर तक पहुँच जायेगा। उनकी मान्यता थी कि इस कार्य के लिए भारत में ब्रिटिश सत्ता का अधिक से अधिक 40 वर्ष तक बना रहना उचित था।³ प्रो. वी.पी. वर्मा ने भारत की स्वतंत्रता के प्रति राय के दृष्टिकोण का मूल्यांकन इस रूप में किया है कि भारत में स्वराज्य की चेतना के विषय में उनका योगदान प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष था। उन्होंने भारत के आत्म निर्णय के अधिकार का समर्थन नहीं करते हुए भी, भारतीयों में राजनीतिक जागृति के लिए जो प्रयत्न किये, उनसे भारत में स्वशासन और स्वराज्य के लिए चेतना का मार्ग अवश्य प्रषस्त हुआ।

2 प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता— राजा राममोहन राय ने प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया। प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन अच्छे कानूनों के निर्माण की दृष्टि से किया गया था। उन्होंने यह सुझाव रखा कि भारतीय जनता को अपनी समस्याएं शासन तक प्रस्तुत करने का अधिकार होना चाहिए। प्रेस के द्वारा यह काम सरलता से हो सकता है और सरकार जनता की इच्छा सुगमता से ज्ञात कर सकती है।⁴ प्रेस की स्वतंत्रता से जनता भारत सरकार की कुटिल नीतियों के विरोध में ब्रिटिश जनता से न्याय की मांग कर सकती है। इतना ही नहीं प्रेस की स्वतंत्रता कम्पनी-शासन की सफलताओं का मापदण्ड भी होगी। राय ने प्रेस की स्वतंत्रता के साथ-साथ जनहित में यह मांग भी की, कि भारत की वास्तविक स्थिति का ज्ञान करने के लिए समय-समय पर जाँच आयोगों की नियुक्ति की जाये ताकि अच्छे कानूनों की संख्या में अभिवृद्धि हो। राय इतने से ही सन्तुष्ट न हुए, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बुद्धिजीवियों तथा सम्भ्रान्त वर्ग के भारतीयों के सुझाव भी कानून बनाते समय कम्पनी-शासन द्वारा प्राप्त किये जाये। जो कानून कम्पनी-शासन निर्मित करे उसे इंग्लैण्ड की संसद तथा कम्पनी के निदेशकों के सामने प्रस्तुत किया जाये। संसद की स्थाई समिति द्वारा इस कार्य को अंतिम रूप दिया जाये।⁵

राजा राममोहन राय ने भारत में विधायी परिषद की स्थापना का सुझाव ठीक नहीं माना, क्योंकि उनके विचारों से भारत में विधायी परिषद की स्थापना से कार्यपालिका एवं न्यायपालिका से संबंधित अधिकारी वर्ग अपना आधिपत्य ओर भी विस्तृत कर लेगा

तथा नाम-मात्र के लिए कतिपय भारतीयों का मनोनयन उन्हें कोई विशेष शक्ति प्रदान नहीं करेगा। अतः वे विधायी परिषद के स्थान पर उच्च वर्ग के भारतीयों द्वारा शासन को सलाह दी जाने की मांग प्रस्तुत कर रहे थे।⁶

प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में राजा की मांग मूलतः पाक्षिक पत्रिकाओं पर कम्पनी शासन द्वारा लगाई गयी रूकावट को दूर करने के संबंध में थी, किन्तु शनैः शनैः उनकी यह मांग सर्वव्यापी हो गई। उन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया कि चूंकि भारत की शासन व्यवस्था प्रतिनिधि शासन के सिद्धान्त पर आधारित नहीं थी, ऐसी स्थिति में प्रेस की स्वतंत्रता अत्यावश्यक थी ताकि इस माध्यम से वाद-विवाद की स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। उनके अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता ने विष्व के किसी भी भाग में क्रांति को कभी जन्म नहीं दिया। क्रांतियाँ वहीं हुई हैं, जहां निरंकुश शासन ने जनता को अज्ञान के अन्धकार में रखा है। उनके अनुसार भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से शासन की आलोचना से अधिक शासन के पक्ष का समर्थन हुआ है और शिक्षित वर्ग अंग्रेजों को आक्रामक समझने के स्थान पर मुक्तिदाता के रूप में मानने लगा। इस पर भी यदि शासन आश्वस्त न हो तो प्रेस की स्वतंत्रता पर उचित कानूनी प्रतिबन्ध लगा सकता है ताकि शासन को किसी प्रकार का संशय न रहे। यद्यपि राजा की प्रेस की स्वतंत्रता संबंधी सारी दलील असफल रही, फिर भी उनके द्वारा उठाई गयी यह आवाज़ इस लक्ष्य का प्रतीक थी कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रूद्ध करना उचित नहीं मानते थे।⁷

3 न्यायिक सुधार- राममोहन राय भारत में न्यायिक व्यवस्था में सुधारों के प्रति सजग थे वे न्यायिक व्यवस्था को ऐसा स्वरूप प्रदान करना चाहते थे कि आम जनता को सुविधापूर्वक तथा शीघ्र न्याय मिल सके। वे न्याय पालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण के समर्थक थे। न्यायिक व्यवस्था को भारत की जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिए उन्होंने यह उचित माना कि विधि संहिता का निर्माण भारतीय सामाजिक और आर्थिक संदर्भों को ध्यान में रख कर किया जाये। जब 1833 में ब्रिटिश संसद 'चार्टर अधिनियम' पर विचार कर रही थी तब वे हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रवर समिति के सामने उपस्थित हुए तथा भारत में न्यायिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता को प्रतिपादित किया।

भारत में न्यायिक सुधारों के प्रति उनके दृष्टिकोण के दो महत्वपूर्ण पक्ष थे

1827 में जूरी अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में जूरी प्रथा को लागू किया गया, किन्तु इससे न्यायिक क्षेत्र में भी जातिगत आधार पर भेदभाव उत्पन्न किया गया। यह व्यवस्था की गई जब किसी ईसाई पर मुकदमा चलाया जा रहा हो तो हिन्दू और मुसलमान जूरी में नहीं बैक सकते थे। राजाराममोहन राय इस प्रावधान से बहुत क्षुब्ध हुए। उन्होंने इस प्रावधान के विरुद्ध ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में प्रस्तुत किये जाने के लिए एक याचिका तैयार करवाने में सक्रिय योगदान दिया, तथा साथ ही श्री क्रोफल्ड को एक पत्र लिखकर इस प्रावधान के विरुद्ध गंभीर रोष व्यक्त किया। उनका मत था कि न्याय के क्षेत्र में हिन्दुओं, मुसलमानों और ईसाइयों के अलग-अलग विचारों को प्रसारित करने के लिए एक ही जूरी प्रथा को लागू करने से न्यायिक व्यवस्था में भेदभाव उत्पन्न होगा।

प्रश्न पर राममोहन ने राय मांगी। 1813 के अधिकार अधिनियम (चार्टर एक्ट) ने यूरोपीयों को भारत में भूमि खरीदकर अथवा पट्टे पर लेकर बसने के अधिकार से वंचित किया था। इसके विपरीत राममोहन ने सिफारिश की कि शिक्षित तथा 'चरित्र और पूँजी वाले' यूरोपीयों को भारत में स्थाई रूप से बसने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।⁹

4 प्रशासन व राजस्व प्रणाली- राजाराम मोहन राय ने भारत में प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता प्रतिपादित की। उन्होंने प्रशासनिक पदों में भारतवासियों की अधिकाधिक भागीदारी का समर्थन किया। उनकी यह भी मान्यता थी कि उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर परिपक्व बुद्धि वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से उन्होंने सेवाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम 22 वर्ष की आयु निर्धारित किया जाना उचित माना।

उन्होंने राजस्व व्यवस्था के स्वरूप को परिवर्तित करने पर बल दिया। उनका सुझाव था कि भारत में निर्धन कृषकों की स्थिति सुधारने के लिए ज़मींदारों और सरकार को लगान की दर कम कर देनी चाहिए। उन्होंने ज़मींदारी प्रथा कि उन्मूलन का आग्रह तो नहीं किया किन्तु सरकार से यह अपेक्षा की कि लगान की दर में परिवर्तन का अधिकार ज़मींदारों को प्रदान नहीं किया जाये। उन्होंने भारत में स्थायी भू-प्रबन्ध की आवश्यकता पर बल दिया। निर्धन जनता को करों में राहत देने के लिए उन्होंने यह सुझाव दिया कि सरकार विलासिता की सामग्री पर अधिक दर से कर लगाये। राजस्व व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ बनाने का आग्रह करते हुए उन्होंने मत व्यक्त किया कि राजस्व विभाग पर किये जाने वाले रख-रखाव के व्यय में कमी की जाये तथा जिले में राजस्व वसूली के प्रमुख अधिकारी कलेक्टर के पद पर भारतीयों की नियुक्त की जाये। उनकी मान्यता थी कि राजस्व वसूली के कार्य में भारतीयों की नियुक्ति किये जाने से भारतीयों में शासन के प्रति संतोष का भाव भी उत्पन्न होगा तथा इन पदों पर नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों को दिये जाने वाले अत्यधिक वेतन की तुलना में, भारतीय अधिकारियों को कम वेतन देने से राजस्व व्यय में कमी होगी। उनका मत था कि राजस्व वसूली में होने वाले व्यय की कमी के द्वारा किसानों पर पड़ने वाले कर के भार को कम किया जा सकेगा।⁹

5 मानवतावाद व विश्व-बन्धुत्व- राजा राममोहन राय के विचारों में विश्व-बन्धुत्व और उदार मानवतावाद का उत्कट आग्रह व्यक्त हुआ है। उनके विचारों में संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे मनुष्य के व्यक्तित्व और आत्मा पर लगाये जाने वाले परम्परागत प्रतिबन्धों की समाप्ति के लिए प्रयत्नशील थे और उन्होंने ईश्वर के नैतिक व्यक्तित्व की धारणा के आधार पर मानव मात्र के प्रति प्रेम के नैतिक आदर्श की स्थापना की। वे सहिष्णुता, प्रेम, सहानुभूति और बुद्धि पर आधारित समाज के निर्माण के पक्षधर थे।

असीम मानवतावाद और धर्म के प्रति उदार और संप्लेशनवादी दृष्टिकोण ने उन्हें विष्व नागरिकता के विचार का प्रतिपादक बना दिया। वे मानव जाति को एक ही परिवार मानते थे तथा विभिन्न राष्ट्रों, जातियों और सम्प्रदायों को उनकी विभिन्न शाखाएँ मानते थे। वे भारतीय जनता की उन्नति के घोर समर्थक थे, किन्तु वे सच्च्य अर्थ में अन्तर्राष्ट्रीयवादी भी थे। वे धर्म की शक्ति का उपयोग मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम और भाईचारे की भावना के संचार के लिए करना चाहते

थे। इसलिए उन्होंने धर्म के ऐसे पक्षों की आलोचना की जो संकीर्णता, कटुता अथवा विद्वेश उत्पन्न करते थे। उन्होंने विभिन्न धर्मों में ईश्वर की एकता के प्रति आस्था को मानव जाति की एकता, शक्ति और समृद्धि के रूप में रूपान्तरित करने का आग्रह किया।

राय के चिन्तन के समन्वयवादी व उदार पक्षों की प्रशंसा करते हुए विपिन चन्द्र पॉल ने कहा है 'समष्टि व व्यक्ति, ईश्वर व मनुष्य, मानवता व राष्ट्रीयता, समुदायवाद व व्यक्तिवाद के मध्य अनिवार्य तादात्म्य राममोहन राय के चिन्तन का केन्द्रीय तत्व है।'¹⁰

संदर्भ ग्रंथ

- 1 वर्मा वी.पी. *आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन*, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, 2000 पृष्ठ 16
- 2 वर्मा वी.पी. *आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन*, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, 2000 पृष्ठ 17
- 3 वर्मा वी.पी. *आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन*, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, 2000 पृष्ठ 17
- 4 विमान बिहारी मजूमदार, *हिस्ट्री ऑफ इंडियन सोशल एण्ड पोलिटिकल आइडियाज़: फ़्रोम राममोहन टू दयानन्द* (बुक लैण्ड—कलकत्ता, 1967) पृष्ठ 39
- 5 विमान बिहारी मजूमदार, *हिस्ट्री ऑफ इंडियन सोशल एण्ड पोलिटिकल आइडियाज़: फ़्रोम राममोहन टू दयानन्द* (बुक लैण्ड—कलकत्ता, 1967) पृष्ठ 40—41
- 6 विमान बिहारी मजूमदार, *हिस्ट्री ऑफ इंडियन सोशल एण्ड पोलिटिकल आइडियाज़: फ़्रोम राममोहन टू दयानन्द* (बुक लैण्ड—कलकत्ता, 1967) पृष्ठ 36
- 7 विमान बिहारी मजूमदार, *हिस्ट्री ऑफ इंडियन सोशल एण्ड पोलिटिकल आइडियाज़: फ़्रोम राममोहन टू दयानन्द* (बुक लैण्ड—कलकत्ता, 1967) पृष्ठ 24
- 8 वर्मा वी.पी. *आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन*, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा 2000, पृष्ठ 20
- 9 विमान बिहारी मजूमदार, *हिस्ट्री ऑफ इंडियन सोशल एण्ड पोलिटिकल आइडियाज़: फ़्रोम राममोहन टू दयानन्द*, बुक लैण्ड—कलकत्ता, 1967 पृष्ठ 43
- 10 *ट्रान्सलेशन ऑफ सैवरल प्रिंसिपल बुक्स, पैसेजेज एण्ड सम कन्ट्रोवर्सियल वर्क्स ऑन ब्राह्मणेनिकल थियोलॉजी बाई राजा राममोहन राय, परिचयात्मक टिप्पणी, कलकत्ता—1903, पृष्ठ 10—11*